To Solve the Problem of Stubble Burning

*1358. Shri Abhay Singh Chautala, MLA: Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to solve the constantly increasing problem of Stubble burning in the State; if so, the details thereof?

JAI PRAKASH DALAL, AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE MINISTER, HARYANA

Sir,the Government is already implementing a scheme on crop residue management under which 50% subsidy is given to Individual farmers for purchase of crop residue management machinery and 80% subsidy is given for establishment of custom hiring centres to ensure adequate availability of machines to small and marginal farmers. Subsidy is given for both types of machines ex-situ as well as in-situ management of paddy stubbles. Since 2018,State has given subsidy for purchase of 72777 machines (41331 individual & 31446 in 6775 CHCs).Incentive @ Rs. 1000/- per acre for management of paddy crop residue by making bales is also being provided to the farmers. A total of 22980 farmers have registered for availing incentive amounting to Rs. 23.36 cr in current year. Besides, incentive @ Rs. 7000/- per acre is being provided for diversification of paddy area with alternative crops under Mera Pani Meri Virasat scheme.PUSA decomposer technology has also been provided free of cost to the farmers for management of 3.19 lakh acres of paddy area in current year. Thus, the state is making all out efforts by taking all possible measures to solve the problem of Stubble burning in the State,resulting in reduction of 30% in the events of stubble burning during the current year 2021as compared to previous year 2020 (reported by HARSAC).

परालीजलाने की समस्या के समाधान के लिए

***1358. श्री अभय सिंह चौटाला, विधायकः** क्या कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री कृपया यह बतायेगें कि राज्य में लगातार बढ़ती पराली जलाने की समस्या के समाधान के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; यदि हॉ, तो ब्यौरा दें?

जय प्रकाश दलाल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, हरियाणा ।

महोदय, सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए पहले से ही एक योजना क्रियान्वित की जा रही है जिसके अन्तर्गत व्यक्तिगत श्रेणी के किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की खरीद के लिए 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है और लघु एवं सीमांत किसानों को मशीनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कस्टम हायरिंग सैन्टरों की स्थापना के लिए 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए दोनों प्रकार की मशीनों (एक्स–सीटू एवं इन–सीटू प्रबंधन) पर अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2018 से राज्य द्वारा 72777 मशीनों (41331 व्यक्तिगत श्रेणी में और 31446 मशीनें 6775 कस्टम हायरिंग सैन्टरों) की खरीद पर अनुदान उपलब्ध करवाया गया है। धान के फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को पराली की गांठ बनाने पर 1000 रू0 प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। इस वर्ष कुल 22980 किसानों ने 23. 36 करोड़ रूपये प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतू पंजीकरण किया है। इसके अतिरिक्त ''मेरा पानी मेरी विरासत'' स्कीम के अन्तर्गत धान के क्षेत्र को अन्य फसलों में विविधिकरण के लिए 7000रू0 प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। चालू वर्ष में 3.19 लाख एकड़ धान के क्षेत्र के प्रबंधन के लिए किसानों को पूसा डी–कम्पोजर तकनीक भी निःशुल्क प्रदान की गई है।इस प्रकार, सरकार द्वारा राज्य में पराली जलाने की समस्या को हल करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे है। जिसके परिणामस्वरूप राज्य में गत वर्ष 2020 की तुलना में चालू वर्ष 2021 के दौरान पराली जलाने की घटनाओं में 30 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है (हारसैक द्वारा दी गई रिपोर्ट अनुसार)।

पराली जलाने की समस्या के समाधान के लिए

*1358. श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक

नोट फॉर पैड

1. भारत सरकार द्वारा पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए एक समर्पित योजनाः ''प्रोमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाईजेशन फॉर इन–सीटू मैनेजमैन्ट ऑफ क्रोप रेजीड्यू इन दा स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, उतर प्रदेश एवं दिल्ली'' लागू की गई है। वर्ष 2021–22 के दौरान गतिविधियों/प्रगति का विवरण इस प्रकार हैः–

1क. कुल 19052फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी जिसमें 8842 व्यक्तिगत श्रेणी की मशीनें 50 प्रतिशत अनुदान पर एवं 10210 मशीनें 2551 कस्टम हायरिंग सैंटरों में 80 प्रतिशत अनुदान पर किसानों को उपलब्ध करवाई गई, जिसके अन्तर्गत कुल 236.67 करोड रू0की राशि खर्च की गई। गत वर्ष (2020 में) 15350फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों पर किसानों को 167.57 करोड़रू0की अनुदान राशि व्यक्तिगत श्रेणी व कस्टम हायरिंग सैंटरों की स्थापना हेतू उपलब्ध करवाई गई। अतः इस वर्ष धान की फसल के अवशेषों के इन–सीटू एवं एक्स–सीटू प्रबंधन के लिए 41.23 प्रतिशत अतिरिक्त बजट तथा 3702 अतिरिक्त मशीनें किसानों को उपलब्ध करवाई गई हैं।

1ख. सूचना शिक्षा और संचार (आई0ई0सी0) गतिविधियों के माध्यम से हमेटी, जींद द्वारा कुल 46150 किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी के संचालन/रखरखाव और उनके वैकल्पिक समाधानों के साथ फसल अवशेष जलाने से होने वाले दूष्प्रभावों के बारे में प्रशिक्षित किया गया है। अन्य जागरूकता/आई0ई0सी0 गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

बैनर/होर्डिंग/वॉल पेंटिग	प्रदर्शन/इनफोरसमैन्ट वैन	ग्रम स्तर/ब्लॉकस्तर/जिला स्तर पर कैम्प	पैम्पलेट/लीफलैट वितरण	एस0एम0एस0
3370	33	4740	3.43 लाख	5 लाख

2. इसके अतिरिक्त एक अनूठी पहल के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पराली की बेलर द्वारा गॉठ बनाकर प्रबंधन करने पर 1000/–प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाई जाती है। चालू वर्ष में कुल 22980 किसानों ने 233638 एकड़ धान क्षेत्र में बेलर से गॉठें बनाकर प्रबंधन कर कुल रू0 23.36 करोड़ रू0 प्रोत्साहन राशि हेतू पंजीकरण किया है।

3. राज्य सरकार द्वारा गौशालाओं को फसल अवशेष गॉठों कीखपत के लिए परिवहन शुल्क (रू0 500/–प्रति एकड़अधिकतम 15000/–प्रति गौशाला)उपलब्ध करवाया जा रहा है।

4. ''मेरा पानी मेरी विरासत'' योजना के अन्तर्गत किसानों को धान क्षेत्र के अन्य वैकल्पिक फसलों द्वारा विविधिकरण के लिए 7000/–प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। चालू वित वर्ष 2021–22 के दौरान किसानों द्वारा 98000 एकड़ धान क्षेत्र के विविधिकरण के लिए पंजीकरण करवाया गया है।

5. राज्य द्वारा83349 एकड़ धान क्षेत्र के प्रबंधन के लिए पूसा डी–कम्पोजर तकनीक किसानों को निःशुल्क प्रदान करते हुए प्रदर्शन प्लॉट लगाए गए है। इसके अतिरिक्त युनाईटेड फॉस्फोरस लिमिटेडकम्पनी द्वारा इस तकनीक से कुल 236001 एकड़ धान क्षेत्र का प्रबंधन किया गया है। इस प्रकार कुल 319350 एकड़ धान क्षेत्र का डी–कम्पोजर तकनीक के माध्यम से प्रबंधन किया गया है।

गत वर्ष 2020–21 के दौरान 9898 घटनाओं की तुलना में चालू वर्ष 2021–22 के दौरान हारसैक द्वारा कुल 6987 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गई। इस प्रकार पराली जलाने पर अंकुश लगाने के राज्य के प्रयासों के कारण पराली जलाने की घटनाओं में 30 प्रतिशत की कमीदर्जकी गई है।